

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 29, बुधवार, शके 1947- अगस्त 20, 2025 <i>Sravana 29, Wednesday, Saka 1947- August 20, 2025</i>	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

आदेश

जयपुर, जुलाई 23, 2025

संख्या F3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates'Exp./2023/3686 :-भारत निर्वाचन आयोग का निम्नांकित आदेश संख्या 76/राज-वि.सं./71-75/2023/सी.ई.एम.एस.-1, 31 जुलाई, 2025 सर्व साधारण के सूचनार्थ पुनः प्रकाशित किया जाता है।

नवीन महाजन,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

सं. 76/राज-वि.सं./71/2023/सीईएमएस-1

दिनांक: 31 जुलाई, 2025
9 श्रावण, 1947 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/राज-वि.सं./2023 दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 के अनुसरण में **71-नगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजस्थान विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान के **71-नगर** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 03 दिसम्बर, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02 जनवरी, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से उनके दिनांक 16.01.2024 के पत्र सं. F3(1)(5)EEM/ELECTION/ Candidates' Exp./433 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, **भरतपुर** की दिनांक 05.01.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, **श्री खुशीद अहमद**, जो राजस्थान के **71-नगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भरतपुर** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री खुर्शीद अहमद** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/राज-वि.स./71/2023/सीईएमएस-1 दिनांक 19.03.2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री खुर्शीद अहमद** को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **भरतपुर** जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान पत्र सं. F3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./5486 दिनांक 02.05.2024 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, **भरतपुर** के पत्र दिनांक 16.04.2024 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री खुर्शीद अहमद** के भाई (श्री जमील खाँ) को दिनांक 29.03.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भरतपुर** ने पत्र क्रमांक/निर्वा./2024/6694 दिनांक 08.11.2024 एवं पत्र क्रमांक/निर्वा./ईईएम/वि.स.चु. 2023/2025/267 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री खुर्शीद अहमद** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री खुर्शीद अहमद** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा

और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री खुर्शीद अहमद** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि राजस्थान विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2023 में राजस्थान राज्य के 71-नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री खुर्शीद अहमद**, निवासी- ग्राम नांगल हीरा, पो0 किथूर, तहसील - अलवर, जिला - अलवर, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के

किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे।

(राकेश कुमार)
सचिव,

सेवा में,

श्री खुशीद अहमद,
निवासी- ग्राम नांगल हीरा,
पो0 किथूर, तहसील-अलवर,
जिला - अलवर, राजस्थान।

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली – 110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

No. 76/RJ-LA/71/2023/CEMS-I

Dated: 31th July, 2025
9 Shravan, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Rajasthan, 2023 for **71-Nagar** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India vide Notification No. **464/RJ-LA/2023**, dated **30th October, 2023**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **71-Nagar** Assembly Constituency of Rajasthan, 2023 was declared by the Returning Officer on **3rd December, 2023** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **02nd January, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted **DEO, Bharatpur** report 05.01.2024 forwarded by the CEO, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp.2023/433; dated 16.04.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 **Sh. Khushird Ahmed**, a contesting candidate from **71-Nagar** Assembly Constituency of state of Rajasthan has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Bharatpur** a Show-Cause Notice' No. **76/RJ-LA/71/2023/CEMS-I**, dated **19th March, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Khushird Ahmed**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Khushird Ahmed**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the

account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Bharatpur** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the CEO, Rajasthan vide his letter No. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp.2023/5486, dated 02.05.2024 enclosing the District Election Officer's **Bharatpur** letter dated 16.01.2025 reported that the 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Khushird Ahmed's brother** (name Sh. Jameel Khan), on **29.03.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, Bharatpur in his supplementary report vide its letter no. क्रमांक/निर्वा./2024/6694 dated 08.11.2024 and क्रमांक/निर्वा./ईईएम/वि.स.चु. 2023/2025/267 dated 10.06.2025 respectively wherein it has reported that **Sh. Khushird Ahmed**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Khushird Ahmed**, has neither furnished any proper reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Khushird Ahmed**, has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the Peoples Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Khushird Ahmed**, resident of **Village-Nangal Hira, Post-Kithur, Tehsil-Alwar, Rajasthan** a contesting candidate for **71-Nagar** Assembly Constituency of Rajasthan in General Election to Legislative Assembly, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

(RAKESH KUMAR)

SECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

To

Sh. Khushird Ahmed,
Village-Nangal Hira,
Post-Kithur, Tehsil-Alwar,
Rajasthan

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली – 110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

सं. 76/राज-वि.स./73/2023/सीईएमएस-1

दिनांक: 31 जुलाई, 2025
9 श्रावण, 1947 (शक)**आदेश**

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/राज-वि.स./2023 दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 के अनुसरण में 73-भरतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजस्थान विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान के 73-भरतपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 03 दिसम्बर, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02 जनवरी, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से उनके दिनांक 16.01.2024 के पत्र सं. F3(1)(5)EEM/ELECTION/ Candidates' Exp./433 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, भरतपुर की दिनांक 05.01.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री रामवीर जाटौलिया, जो राजस्थान के 73-भरतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा-विहित अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भरतपुर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री रामवीर जाटौलिया को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/राज-वि.स./73/2023/सीईएमएस- दिनांक 19.03.2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री रामवीर जाटौलिया को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, भरतपुर जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान पत्र सं. F3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./5486 दिनांक 02.05.2024 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, भरतपुर के पत्र दिनांक 16.04.2024 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री रामवीर जाटौलिया को दिनांक 30.03.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भरतपुर ने पत्र क्रमांक/निर्वा./2024/6694 दिनांक 08.11.2024 एवं पत्र क्रमांक/निर्वा./ईईएम/वि.स.चु. 2023/2025/267 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रामवीर जाटौलिया ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त,

उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री रामवीर जाटौलिया ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रामवीर जाटौलिया अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि राजस्थान विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2023 में राजस्थान राज्य के 73-भरतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रामवीर जाटौलिया, निवासी- गांव-अजरोड़ा, तहसील-वैर, जिला-भरतपुर, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे।

(राकेश कुमार)
सचिव,

सेवा में,

श्री रामवीर जाटौलिया,
गांव-अजरोड़ा,
तहसील-वैर,
जिला-भरतपुर, राजस्थान।

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली – 110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

No. 76/RJ-LA/73/2023/CEMS-I

Dated: 31th July, 2025
9 Shravan, 1947 (Saka)ORDER

WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Rajasthan, 2023 for **73-Bharatpur** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India vide Notification No. **464/RJ-LA/2023**, dated **30th October, 2023**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **73-Bharatpur** Assembly Constituency of Rajasthan, 2023 was declared by the Returning Officer on **3rd December, 2023** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **02nd January, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted **DEO, Bharatpur** report 05.01.2024 forwarded by the CEO, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp.2023/433; dated 16.01.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 **Sh. Ramvir Jatoliya**, a contesting candidate from **73-Bharatpur** Assembly Constituency of state of Rajasthan has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Bharatpur** a 'Show-Cause Notice' No. **76/RJ-LA/71/2023/CEMS-I**, dated **19th March, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ramvir Jatoliya**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Ramvir Jatoliya**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Bharatpur** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the CEO, Rajasthan vide his letter No. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp.2023/5486, dated 02.05.2024 enclosing the District Election Officer's **Bharatpur** letter dated 16.04.2025 reported that the 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Ramvir Jatoliya**, on **30.03.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, Bharatpur in his supplementary report vide its letter no. क्रमांक/निर्वा./2024/6694 dated 08.11.2024 and क्रमांक/निर्वा./ईईएम/वि.स.चु. 2023/2025/267 dated 10.06.2025 respectively wherein it has reported that **Sh. Ramvir Jatoliya**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Ramvir Jatoliya**, has neither furnished any proper reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Ramvir Jatoliya**, has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the Peoples Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ramvir Jatoliya**, resident of **Village-Ajronda, Tehsil-Weir, District-Bharatpur, Rajasthan** a contesting candidate from **73-Bharatpur** Assembly Constituency of Rajasthan in General Election to Legislative Assembly, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

(RAKESH KUMAR),
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

To
Sh. Ramvir Jatoliya,

Village-Ajronda, Tehsil-Weir,
District-Bharatpur, Rajasthan

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली – 110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

सं. 76/राज-वि.स./73/2023/सीईएमएस-1

दिनांक: 31 जुलाई, 2025
9 श्रावण, 1947 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/राज-वि.स./2023 दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 के अनुसरण में 74-नदबई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजस्थान विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान के 74-नदबई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 03 दिसम्बर, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02 जनवरी, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से उनके दिनांक 16.01.2024 के पत्र सं. F3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, **भरतपुर** की दिनांक 05.01.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, **श्री जगत पाल सिंह**, जो राजस्थान के 74-नदबई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भरतपुर** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री जगत पाल सिंह** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/राज-वि.स./74/2023/सीईएमएस-1 दिनांक 19.03.2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री जगत पाल सिंह** को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **भरतपुर** जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान पत्र सं. F3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./5486 दिनांक 02.05.2024 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, **भरतपुर** के पत्र दिनांक 16.04.2024 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री जगत पाल सिंह** को दिनांक 08.04.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भरतपुर** ने पत्र क्रमांक/निर्वा./2024/6694 दिनांक 08.11.2024 एवं पत्र क्रमांक/निर्वा./ईईएम/वि.स.चु. 2023/2025/267 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री जगत पाल सिंह** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री जगत पाल सिंह** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री जगत पाल सिंह** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, **अब**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि राजस्थान विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2023 में राजस्थान राज्य के 74-नदबई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री जगत पाल सिंह**, निवासी- गांव+पोस्ट पिच्ना, तह. उच्चैन, **भरतपुर**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन

अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे।

(राकेश कुमार)
सचिव,

सेवा में,

श्री जगत पाल सिंह,
गांव+पोस्ट पिचूना,
तह. उच्चैन, भरतपुर,
राजस्थान।

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

No. 76/RJ-LA/74/2023/CEMS-I

Dated: 31th July, 2025
9 Shravan, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Rajasthan, 2023 for **74-Nadbai** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India vide Notification No. **464/RJ-LA/2023**, dated **30th October, 2023**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **74-Nadbai** Assembly Constituency of Rajasthan, 2023 was declared by the Returning Officer on **3rd December, 2023** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **02nd January, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted **DEO, Bharatpur** report 05.01.2024 forwarded by the CEO, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp.2023/433; dated 16.04.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 **Sh. Jagat Pal Singh**, a contesting candidate from **74-Nadbai** Assembly Constituency of state of Rajasthan has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Bharatpur** a Show-Cause Notice' No. **76/RJ-LA/71/2023/CEMS-I**, dated **19th March, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Jagat Pal Singh**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Jagat Pal Singh**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the

account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Bharatpur** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the CEO, Rajasthan vide his letter No. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp.2023/5486, dated 02.05.2024 enclosing the District Election Officer's **Bharatpur** letter dated 16.04.2025 reported that the 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Jagat Pal Singh**, on **08.04.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, Bharatpur in his supplementary report vide its letter no. क्रमांक/निर्वा./2024/6694 dated 08.11.2024 and क्रमांक/निर्वा./ईईएम/वि.स.चु. 2023/2025/267 dated 10.06.2025 respectively wherein it has reported **Sh. Jagat Pal Singh**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Jagat Pal Singh**, has neither furnished any proper reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Jagat Pal Singh**, has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the Peoples Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Jagat Pal Singh**, resident of **Village+Post Pichoona, Tehsil Uchhain, District-Bharatpur, Rajasthan** a contesting candidate for **74-Nadbai** Assembly Constituency of Rajasthan in General Election to Legislative Assembly, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

(RAKESH KUMAR)

SECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA.

To

Sh. Jagat Pal Singh,
Village+Post Pichoona,
Tehsil Uchhain, District-Bharatpur,
Rajasthan

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

सं. 76/राज-वि.स./73/2023/सीईएमएस-1

दिनांक: 31 जुलाई, 2025
9 श्रावण, 1947 (शक)**आदेश**

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/राज-वि.स./2023 दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 के अनुसरण में 75-वैर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजस्थान विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान के 75-वैर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 03 दिसम्बर, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02 जनवरी, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से उनके दिनांक 16.01.2024 के पत्र सं. F3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, भरतपुर की दिनांक 05.01.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री चिरमोली, जो राजस्थान के 75-वैर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भरतपुर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री चिरमोली को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/राज-वि.स./75/2023/सीईएमएस-1 दिनांक 19.03.2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री चिरमोली को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, भरतपुर जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान पत्र सं. F3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./5486 दिनांक 02.05.2024 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, भरतपुर के पत्र दिनांक 16.04.2024 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री चिरमोली को दिनांक 27.03.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भरतपुर ने पत्र क्रमांक/निर्वा./2024/6694 दिनांक 08.11.2024 एवं पत्र क्रमांक/निर्वा./ईईएम/वि.स.चु. 2023/2025/267 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री चिरमोली ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त

नोटिस की पावती के उपरांत, श्री चिरमोली ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री चिरमोली अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि राजस्थान विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2023 में राजस्थान राज्य के 75-वैर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री चिरमोली, निवासी- नई सब्जी मण्डी के पास बड़ा जाटव मौहल्ला, भुसावर, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

(राकेश कुमार)
सचिव,

सेवा में,

श्री चिरमोली,

नई सब्जी मण्डी के पास बड़ा जाटव मौहल्ला,

भुसावर,

राजस्थान।

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

No. 76/RJ-LA/74/2023/CEMS-I

Dated: 31th July, 2025
9 Shravan, 1947 (Saka)ORDER

WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Rajasthan, 2023 for **75-Weir (SC)** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India vide Notification No. **464/RJ-LA/2023**, dated **30th October, 2023**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **75-Weir (SC)** Assembly Constituency of Rajasthan, 2023 was declared by the Returning Officer on **3rd December, 2023** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **02nd January, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted **DEO, Bharatpur** report 05.01.2024 forwarded by the CEO, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp.2023/433; dated 16.01.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 **Sh. Chirmoli**, a contesting candidate from **75-Weir (SC)** Assembly Constituency of state of Rajasthan has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Bharatpur** a Show-Cause Notice' No. **76/RJ-LA/71/2023/CEMS-I**, dated **19th March, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Chirmoli**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Chirmoli**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Bharatpur** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the CEO, Rajasthan vide his letter No. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp.2023/5486, dated 02.05.2024 enclosing the District Election Officer's **Bharatpur** letter dated 16.04.2025 reported that the 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Chirmoli**, on **27.03.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, Bharatpur in his supplementary report vide its letter no. क्रमांक/निर्वा./2024/6694 dated 08.11.2024 and क्रमांक/निर्वा./ईईएम/वि.स.चु. 2023/2025/267 dated 10.06.2025 respectively wherein it has reported that **Sh. Chirmoli**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Chirmoli**, has neither furnished any proper reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Chirmoli**, has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the Peoples Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Chirmoli**, resident of **Nayi Sabji Mandi Ke Pas Bada jatav Mohalla, Bhusawar, Rajasthan** a contesting candidate for **75-Weir (SC)** Assembly Constituency of Rajasthan in General Election to Legislative Assembly, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

RAKESH KUMAR,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

To

Sh. Chirmoli,
Nayi Sabji Mandi Ke Pas Bada jatav Mohalla,
Bhusawar, Rajasthan

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।